न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस

वाद पत्र संख्या 156/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

परविंदर सिंह पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ...... वादी

ब ना म

1. बोहड़ सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

... . प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री गुरतेज सिंह	वादी
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज	प्रति.–3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी गांव 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है, वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है। वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 1 बोहड़ सिंह के नाम से वाके चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 165/85 का मुरब्बा नम्बर 5 व 32 की कुल 1.798 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हक पैदा हो जाता है। चूंकि उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा [illegible] पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक [illegible] बनता है। प्रतिवादी ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ [illegible] मौखिक बंटवारा किया हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को निम्न लिखित भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई है:–

वादी परविंदर सिंह को चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 165/85 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 11(0.253), 16/1(0.038), 17/2(0.038), 18/1(0.038), 19/2(0.039), 20/1(0.051) की कुल 0.457 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 13(0.253), 14/1(0.215) कुल 0.468 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.925 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.08.2025 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

(1) यह कि पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में से वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 165/85 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 11(0.253), 16/1(0.038), 17/2(0.038), 18/1(0.038), 19/2(0.039), 20/1(0.051) की कुल 0.457 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 13(0.253), 14/1(0.215) कुल 0.468 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.925 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की प्रति की जाकर भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

1. यह कि वादी परविंदर सिंह पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को वाके चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 165 / 85 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 11(0.253), 16 / 1(0.038), 17 / 2(0.038), 18 / 1(0.038), 19 / 2(0.039), 20 / 1(0.051) की कुल 0.457 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 13(0.253), 14 / 1(0.215) कुल 0. 468 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.925 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजनामा होने एवं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में परविन्दर सिंह पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जट सिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 3 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 165 / 85 प्रदर्श–1, प्रदर्शित करवायी गयी। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा शपथ पत्र तादादी 50 / – रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। उक्त अनवानी वाद में मेरे समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित कर वाद दायर किया गया है। उक्त वाद में संयोजित पक्षकारान के अलावा प्रतिवादीगण का अन्य कोई वारिस नहीं है। उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि के ऋण भार की बाबत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है, यदि ऋण भार की बाबत कोई जवाब देही होती है तो उसके लिए मिकर स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 3 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 165 / 85 प्रदर्श–1पेश की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबन्दी साक्ष्य, एवम् प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज [illegible] 1976, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आर[illegible]डी 1[illegible] पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान का[illegible] अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में [illegible]ौते के आधार पर वाद डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बोहड़उ सिंह के नाम दर्ज चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 165/85 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 11(0.253), 16/1(0.038), 17/2(0.038), 18/1(0.038), 19/2(0.039), 20/1(0.051) की कुल 0.457 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 13(0.253), 14/1(0.215) कुल 0.468 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.925 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी परविंदर सिंह पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner